

परियोजना निर्यातक



परियोजना निर्यातकों द्वारा श्रमिकों की तैनाती के लिए दिशा-निर्देश

एक परियोजना निर्यातक भर्ती या उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के खंड चार के अंतर्गत एक परमिट प्राप्त करने के द्वारा विदेशों में अपनी परियोजना के लिए भारतीय जनशक्ति तैनात कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए नीचे उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रारूप- VII में, उत्प्रवासी महा संरक्षक (प्रोटेक्टर जनरल), विदेश मंत्रालय, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है:

- i. प्रारूप- VII में आवेदन
- ii. एक कंपनी के मामले में, पंजीकरण प्रमाणपत्र और आलेख का ज्ञापन तथा एक फर्म के मामले में, पंजीकरण प्रमाणपत्र और साझेदारी दस्तावेज की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
- iii. विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के वेतन की रूपरेखा
- iv. कामगारों के साथ करार
- v. परियोजना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/जांच समिति/अधिकृत बैंक की स्वीकृति की प्रति
- vi. ठेका/परियोजना सौंपे जाने के बारे में प्राधिकार/अनुबंध
- vii. परियोजना के अफगानिस्तान में होने के मामले में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था
- viii. आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज/जानकारी।
- ix. विदेशी नियोक्ताओं के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए प्रारूप, निर्देश, प्रक्रिया, प्रशिक्षण वीडियो आदि www.emigrate.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

अफगानिस्तान में परियोजना श्रमिकों के लिए सुरक्षा

- i. अफगानिस्तान जाने वाले भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की

जिम्मेदारी भर्ती एजेंट/परियोजना निर्यातक की होगी। सुरक्षा व्यवस्था, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।

ii. भर्ती एजेंट/परियोजना निर्यातक अफगानिस्तान में रोजगार के लिए अनुमति की मांग करने वाली कंपनियों द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। अनुवर्ती कार्रवाई और प्रतिक्रिया के लिए, इन विवरणों को काबुल में स्थित भारतीय दूतावास तथा उत्प्रवासी महा संरक्षक और विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा।

iii. अफगानिस्तान जा रहे श्रमिकों के लिए उत्प्रवास की मंजूरी देने से पहले पीओई को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित भर्ती एजेंट/परियोजना निर्यातक ने ऐसी व्यवस्था की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के श्रमिकों की सुरक्षा के दिशा निर्देशों के अनुरूप उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है।

iv. परियोजना निर्यातक कामगारों के लिए पीबीबीवाई के अलावा, परियोजना निर्यातक की लागत से 5 लाख रुपये की एक न्यूनतम राशि की अतिरिक्त बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा।

परियोजना निर्यातकों के दायित्व

i. जारी किया गया परमिट अहस्तांतरणीय है और परमिट के आधार पर भर्ती किए गए श्रमिकों को इस आधार पर वापस नहीं भेजा जाएगा कि उनके पास आवश्यक कौशल नहीं है।

ii. परियोजना निर्यातक किसी भी तरीके से भर्ती एजेंट की सहायता नहीं लेगा,

iii. श्रमिक के साथ रोजगार समझौते पर परियोजना निर्यातक द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे।

iv. परियोजना निर्यातक श्रमिक के साथ किए गए अनुबंध का रोजगार के देश में लागू श्रम कानून के अंतर्गत पालन करने के दायित्व के अधीन होगा। रोजगार के देश में संबंधित अधिकारियों के पास अनुबंध की प्रतियां दाखिल करना उनकी जिम्मेदारी होगी।

v. परियोजना निर्यातक, परमिट के आधार पर भर्ती श्रमिकों की किसी अन्य एजेंसी या संगठन को आपूर्ति नहीं करेगा।

vi. परियोजना निर्यातक, अनुबंध की अवधि के दौरान परमिट के आधार पर भर्ती श्रमिकों के सामान्य कल्याण और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार होगा।

vii. परियोजना निर्यातक अनुबंध की समाप्ति के बाद एक नया अनुबंध करने या मौजूदा अनुबंध को विस्तारित किए बिना एक कार्यकर्ता की सेवाओं का विस्तार नहीं करेगा।

viii. परियोजना निर्यातक एक कार्यकर्ता की मौत या विकलांगता की घटना होने पर, घटना के 48 घंटे के भीतर रोजगार के देश में स्थित भारतीय मिशन को प्रत्येक मामले के बारे में सूचित करेगा।

इसी तरह, विकलांगता/मौत के मामले में ऐसी घटना होने के 48 घंटे के भीतर भारत में उसके परिजनों को सूचित किया जाना चाहिए।

ix. परियोजना निर्यातक को जिस देश के लिए परमिट जारी किया गया है, उसके अलावा किसी अन्य देश में काम करने के लिए मानव शक्ति की आपूर्ति करना निषिद्ध है।